सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018/00075 दर्ज तिथिः–23.08.2018

1. सुखराम पुत्र तेजाराम
2. किशनाराम पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. मोहन पुत्र मंगलाराम
3. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
4. सुगणी पत्नि मंगलाराम
5. जेताराम पुत्र कानाराम
6. हरीराम पुत्र कानाराम
7. श्रीराम पुत्र कानाराम
8. राजूराम पुत्र साजनराम
9. रामजीवण पुत्र साजनराम
10. किशनाराम पुत्र साजनराम फौत के कायम मुकाम
    10/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
    10/2 शैतान पुत्र किशनाराम
    10/3 सोमी पत्नी किशनाराम
11. नैनू पत्नि साजनराम
    जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी,धोरीमन्ना तहसील धोरीमना

.....असल प्रतिवादीगण

12. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.....तकमिली प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश बिश्नोई
प्रतिवादीः–गंगाराम बिश्नोई
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सुखराम बनाम हरिराम
2018/00075
मैन्युअल नंबर 59/2018
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–18.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो मतवफी शेराराम की वारिश है । शेराराम के 2 पुत्र काछबाराम व मिसरीराम हुए । वक्त सैटलमेन्ट ग्राम अजाणियों की ढाणी में शेराराम के समय की पैतृक आराजी खसरा संख्या 466/9.1459 है0, 467/5.4309 है0 का सैटलमेन्ट दर्ज हुआ। सैटलमेन्ट में पैतृक संपति के अनुसार वादीगण का दोनों खसरों में 1/2 हिस्सा मय खातेदार के रूप में दर्ज होना था परन्तु सैटलमेन्ट अधिकाररियों की भूल के कारण पर्चा लगान में खेत खसरा संख्या 466 व 467 में वादीगण के पिता तेजा पुत्र मोबता का नाम दर्ज नहीं हुआ तथा खसरा संख्या 466 में काछबा के तीसरे पुत्र साजन का भी नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि दोनों खसरों में वादीगण का 1/2 हिस्सा व साजन पुत्र काछबा का दोनों खसरों में 1/6 हिस्सा दर्ज होने योग्य होने से इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अन्य खसरों की मिसल बन्दोबस्त पेश की जिसमें भी इसी अनुसार हिस्से दर्ज है।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 11 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के अनुसार दोनों खसरों में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने तथा खेत खसरा संख्या 466 में प्रतिवादीगण साजन के वारिश का भी 1/6 हिस्सा दर्ज करवाने को उभयपक्षकारान सहमत है। इस प्रकार दोनों खसरों में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण में काछबाराम के वारिश हुकमाराम का 1/6 हिस्सा जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करना है। तथा काछबा के पुत्र काना का 1/6 हिस्सा होने से उनके चार पुत्रों में से प्रत्येक को 1/24 हिस्सा बनता है तथा काना के एक पुत्र मंगला फौत होने से उनके 3 वारिशों को प्रत्येक को 1/72 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण में साजन के 4 पुत्र होने से प्रत्येक का 1/24 हिस्सा बनता है। तथा साजन के फौत पुत्र किशनाराम के 3 वारिश होने से प्रत्येक का 1/72 हिस्सा बनता है। इस प्रकार दोनों खसरों में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/72–1/72 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 से 9 व 11 का 1/24 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 10 के कायम मुकाम 10/1 से 10/3 प्रत्येक का 1/72–1/72 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार सभी का हिस्सा घोषित करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति पेश की है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।
3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित [illegible] को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत [illegible] आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पेश राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में पैतृक सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8 से 11 का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 466 / 9.1459 है0, 467 / 5.4309 है0 वाके ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1 / 4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1 / 72–1 / 72 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 से 9 व 11 का 1 / 24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 के कायम मुकाम 10 / 1 से 10 / 3 प्रत्येक का 1 / 72–1 / 72 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

आज 18.03.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested

18/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर
सहायक कलक्टर SDO धोरीमना

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2018/00075

दर्ज तिथिः–23.08.2018

1. सुखराम पुत्र तेजाराम
2. किशनाराम पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. मोहन पुत्र मंगलाराम
3. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
4. सुगणी पत्नि मंगलाराम
5. जेताराम पुत्र कानाराम
6. हरीराम पुत्र कानाराम
7. श्रीराम पुत्र कानाराम
8. राजूराम पुत्र साजनराम
9. रामजीवण पुत्र साजनराम
10. किशनाराम पुत्र साजनराम फौत के कायम मुकाम
    10/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
    10/2 शैतान पुत्र किशनाराम
    10/3 सोमी पत्नी किशनाराम
11. नैनू पत्नि साजनराम
    जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी,धोरीमन्ना तहसील धोरीमना

.....असल प्रतिवादीगण

12. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः–गंगाराम विश्नोई
वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सुखराम बनाम हरिराम
2018/00075
मैन्युअल नंबर 59/2018
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

निर्णय दिनांकः—18.03.2025

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 466/9.1459 है0, 467/5.4309 है0 वाके ग्राम अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1/72—1/72 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 से 9 व 11 का 1/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 के कायम मुकाम 10/1 से 10/3 प्रत्येक का 1/72—1/72 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

18/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested